



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :: A-5/DR/ S.I. /E-5/2023-24

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024

(Under The Home Department Sub Inspector (Civil Police/Intelligence), Fire Station Second Officer And Platoon Commander, Male (PAC/IRB) Exam- 2024)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	31 जनवरी, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	20 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को

	<p>अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-10 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p>
6.	<p>शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है।</p>
7.	<p>अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u>, पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u>, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03 (क, ख, ग, घ, ङः)</u>, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-04</u>, परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु <u>परिशिष्ट-05</u>, ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण-पत्र का प्रारूप <u>परिशिष्ट-06</u>, तथा अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक-लिस्ट हेतु <u>परिशिष्ट-07</u> का अवलोकन करें।</p>
8.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र जालसाजी (फर्जी) पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>iii. प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके मैरिट के आधार पर <u>श्रेणी/उपश्रेणीवार</u> अंतिम चयन हेतु विचारित किया जायेगा।</p> <p>iv. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>v. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>vi. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>vii. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, <u>उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022</u> के भाग-नौ तथा</p>

	<p>ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका-2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।</p> <p>viii. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक- 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15.	<p>आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति (EWS) प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष-2022-23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिये तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।</p> <p>इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष- 2023-24 हेतु मान्य हो।</p>

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा।

1. रिक्तियों का विवरण :- गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद की रिक्तियों की कुल संख्या

222 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण पदवार/ श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है :-

(अ) पद का नाम :- उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/अभिसूचना (कुल पदों की संख्या : 65 + 43 =108)

	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण			
			उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)	अनारक्षित	35	10	00	01	01
	अनुसूचित जाति	13	03			00
	अनुसूचित जनजाति	02	00			00
	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	02			00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	01			00
	योग	65	16			00
उप निरीक्षक (अभिसूचना)	अनारक्षित	23	06	00	01	01
	अनुसूचित जाति	09	02			00
	अनुसूचित जनजाति	01	00			00
	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	01			00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01			00
	योग	43	10			00

1-	पदनाम-	उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/अभिसूचना
2-	रिक्त पद-	65 + 43 =108 पद
3-	वेतनमान-	₹44900-142400 (लेवल-7)
4-	पद का स्वरूप-	अराजपत्रित/स्थायी
5-	पेंशन योजना-	अंशदायी पेंशनयुक्त
6-	आयु-	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष।
7-	शैक्षिक अर्हता-	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।
8-	अधिमाननी अर्हता-	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-	उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:- (क) ऊँचाई:-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०	152.00 से०मी०
		2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०	147.00 से०मी०
		3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०	147.00 से०मी०
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-	(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु):-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
		2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
		नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से०मी० का फुलाव अनिवार्य है।			
(ग) शारीरिक वजन:- 45 कि०ग्रा० न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थी हेतु)					
शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-					
		क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	अर्हकारी मानक (महिला अभ्यर्थियों हेतु)
		1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	20 मीटर
		2.	लम्बी कूद	13 फीट	08 फीट
		3.	चिनिंग अप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	05 बार	-
		4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)
		5.	दण्ड-बैठक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक	-
		6.	स्किपिंग (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	-	01 मिनट में 60 बार

		7.	शटल रेस (25 x 4 मीटर) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	29 सेकेण्ड में
11-	चिकित्सकीय परीक्षण-	लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। <u>वर्ण-अंधता/भैंगापन</u> से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लैंग, बैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।			

(ब) पद का नाम :- गुल्मनायक, (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी) (कुल पदों की संख्या : 89)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण		
		स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	48			02
अनुसूचित जाति	18			00
अनुसूचित जनजाति	03	00	02	00
अन्य पिछड़ा वर्ग	12			00
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	08			00
योग	89	00	02	02

1-	पदनाम	—	गुल्मनायक, (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी)
2-	रिक्त पद	—	89 पद
3-	वेतनमान-		₹44900-142400 (लेवल-7)
4-	पद का स्वरूप-		अराजपत्रित, स्थायी
5-	पेंशन योजना-		अंशदायी पेंशनयुक्त
6-	आयु-		न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष।
7-	शैक्षिक अर्हता-		(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

8-	अधिमानी अर्हता-	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसमें – (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।																								
9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-	<p>गुल्मनायक, (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी) पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:-</p> <p>(क) ऊँचाई:-</p> <table border="1" data-bbox="544 415 1414 730"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>वर्ग/श्रेणी</th> <th>पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु</td> <td>167.70 से०मी०</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु</td> <td>160.00 से०मी०</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु</td> <td>162.60 से०मी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) सीने की माप</p> <table border="1" data-bbox="544 772 1414 1052"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>वर्ग/श्रेणी</th> <th>बिना फुलाये (न्यूनतम)</th> <th>फुलाने पर (न्यूनतम)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु</td> <td>78.8 से०मी०</td> <td>83.8 से०मी०</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु</td> <td>76.5 से०मी०</td> <td>81.5 से०मी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से०मी० का फुलाव अनिवार्य है।</p>	क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०	2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०	3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०	क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)	1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०	2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)																								
1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०																								
2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०																								
3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०																								
क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)																							
1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०																							
2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०																							
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-	<p>शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-</p> <table border="1" data-bbox="544 1262 1414 1604"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>आइटम</th> <th>अर्हकारी मानक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>क्रिकेट बॉल थ्रो</td> <td>50 मीटर</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>लम्बी कूद</td> <td>13 फीट</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>चिनिंग अप</td> <td>05 बार</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>दौड़ व चाल</td> <td>05 कि०मी० (30 मिनट में)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>दण्ड-बैठक</td> <td>(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक</td> </tr> </tbody> </table>	क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक	1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	2.	लम्बी कूद	13 फीट	3.	चिनिंग अप	05 बार	4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)	5.	दण्ड-बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक						
क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक																								
1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर																								
2.	लम्बी कूद	13 फीट																								
3.	चिनिंग अप	05 बार																								
4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)																								
5.	दण्ड-बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक																								
11-	चिकित्सकीय परीक्षण-	लिखित परीक्षा के उपरांत मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। <u>वर्ण-अंधता/भैंगापन</u> से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लैग,																								

		बैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।
--	--	---

(स) पद का नाम :- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष/महिला) (कुल पदों की संख्या : 25)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण			
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	14	03	00	00	00
अनुसूचित जाति	05	01			00
अनुसूचित जनजाति	01	00			00
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	00			00
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00			00
योग	25	04			00

1-	पदनाम	-	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष/महिला)								
2-	रिक्त पद	-	25 पद								
3-	वेतनमान-		₹44900-142400 (लेवल-7)								
4-	पद का स्वरूप-		अराजपत्रित, स्थायी								
5-	पेंशन योजना-		अंशदायी पेंशनयुक्त								
6-	आयु-		न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष।								
7-	शैक्षिक अर्हता-		(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष अर्हता होगी। (स) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा।								
8-	अधिमानि अर्हता-		अन्य बातें के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने- (1) प्रादेशिक सेना न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।								
9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-		अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष/महिला) पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:- (क) ऊँचाई:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र0सं0</th> <th>वर्ग/श्रेणी</th> <th>पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)</th> <th>महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अनारक्षित/अनु0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु</td> <td>167.70 से0मी0</td> <td>152.00 से0मी0</td> </tr> </tbody> </table>	क्र0सं0	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	1.	अनारक्षित/अनु0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से0मी0	152.00 से0मी0
क्र0सं0	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)								
1.	अनारक्षित/अनु0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से0मी0	152.00 से0मी0								

		2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से0मी0	147.00 से0मी0
		3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से0मी0	147.00 से0मी0
		(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु):-			
		क्र0सं0	वर्ग / श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित / अनु0जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
		2.	पर्वतीय क्षेत्र / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0
		नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।			
		(ग) शारीरिक वजन:- 45 कि0ग्रा0 न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थी हेतु)			
		शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-			
		क्र0सं0	आइटम	अर्हकारी मानक (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	अर्हकारी मानक (महिला अभ्यर्थियों हेतु)
		1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	20 मीटर
		2.	लम्बी कूद	13 फीट	08 फीट
		3.	चिनिंग अप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	05 बार	—
		4.	दौड़ व चाल	05 कि0मी0 (30 मिनट में)	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)
		5.	दण्ड-बैठक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक	—
		6.	स्किपिंग (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	01 मिनट में 60 बार
		7.	शटल रेस (25 x 4 मीटर) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	29 सेकेण्ड में
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-				
11-	चिकित्सकीय परीक्षण-	लिखित परीक्षा के उपरांत मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा मुख्यतः मानव शरीर की कमियों यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, पलैट फुट, वैरीकोज वैन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जाँच की जायेगी। बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।			

2. आयु:- गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 03.01.2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण:- शासनादेश संख्या: 256/18-प्र0शि0-2-88-20(एस0बी0)/82 दिनांक 16 जनवरी, 1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊँचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

नोट:- (1) अभ्यर्थियों को केवल मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा बल्कि शासनादेश संख्या: 256/18-प्र0शि0-2-88-20(एस0बी0)/82 दिनांक 16 जनवरी, 1982 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्हें लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शासनादेश संख्या: 256/18-प्र0शि0-2-88-20(एस0बी0)/82 दिनांक 16 जनवरी, 1982 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही उन्हें ऊँचाई एवं सीने की माप में नियमानुसार छूट प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उन्हें ऊँचाई एवं सीने की माप में नियमानुसार छूट प्रदान नहीं किया जायेगा।

4. आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान-

(i) अधिकतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

- (ii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iii) अधिसूचना संख्या-6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”
- (iv) होमगार्ड जिन्होंने 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेंट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना/गुल्मनायक (पुरुष) पीएसी/आईआरबी हेतु अनुमन्य)

5. अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :- (i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है :-

शासन की अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर

सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

6. **राष्ट्रीयता** :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उससे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

7. **चरित्र** :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

8. **वैवाहिक प्रास्थिति**:- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका वह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

9. **शारीरिक स्वस्थता**:- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. **आरक्षण**:- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उर्ध्वधर आरक्षण तथा उत्तराखण्ड महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। उर्ध्वधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in देखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उपश्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(iii) **अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019** द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(iv) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-3" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना

आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(v) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के **O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would ceases** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(vi) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(vii) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(viii) अधिसूचना संख्या:-179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ix) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात ukpsc.net.in पर जाकर Menubar में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates एवं Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

- 3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पर क्लिक कर फॉर्म पर **Post** के अंतर्गत **Post** में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पर के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं। उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरांत चयन किये कये पदों का विवरण प्रदर्शित होगा।।
6. तत्पश्चात् **Educational Details** के अंतर्गत अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
7. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself” declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
8. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल एवं ई-मेल पर ओ0टी0पी0 (**OTP**) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (**मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर**) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. **शुल्क** :- शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

14. अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया:-

- (1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के उपरांत प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- (i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से संबंधित निर्देश:-

- (1) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्रवेश दिया जायेगा।
- (2) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परिशिष्ट-05 के नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है।
- (3) गलत उत्तरों के लिए दण्ड-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।
- (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ii) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(04) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(05) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(06) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(07) शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु सफल घोषित किया जायेगा। अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति)/लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) अभिलेख सत्यापन सूची:– लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के अंकों से निर्मित मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार पदों के क्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की जायेगी। इस सूची के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि के लिए अभ्यर्थियों से मूल अभिलेख एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां व आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(1) अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(2) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में अथवा छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में विज्ञापन के अनुसार अर्हता धारित न करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह किया जायेगा, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(घ) चयन परिणाम:– अभिलेख सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों में से अर्ह अभ्यर्थियों के चयन परिणाम पद की संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार घोषित किया जायेगा।

(ड) सामान्य निर्देश:-

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 (यथासंशोधित) आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (03) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाईट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
- (04) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने इत्यादि में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- (05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (06) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा/ लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा/ लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। **शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा/ लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।**
- (07) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।
- (08) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:-** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (09) **परीक्षा केन्द्र में आचरण:-** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था नहीं फैलायेगा तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान

नहीं करेगा, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायेंगे।

- (10) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (12) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (13) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (14) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित -2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- (16) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- (17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-
1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0

उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/अभिलेख परीक्षण कक्ष में मोबाइल फोन पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(19) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(21) अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा/ लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी।

अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

- (22) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (23) अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (24) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-01

गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद हेतु परीक्षा योजना

(अ) शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति)

(1.) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) पद हेतु

9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-	उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:-			
		(क) ऊँचाई:-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०	152.00 से०मी०
		2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०	147.00 से०मी०
		3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०	147.00 से०मी०
		(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु):-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
		2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से०मी० का फुलाव अनिवार्य है।					
(ग) शारीरिक वजन:- 45 कि०ग्रा० न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थी हेतु)					
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-	शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-			
		क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	अर्हकारी मानक (महिला अभ्यर्थियों हेतु)
		1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	20 मीटर
		2.	लम्बी कूद	13 फीट	08 फीट
		3.	चिनिंग अप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	05 बार	-
		4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)

		5.	दण्ड-बैठक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक	—
		6.	स्किपिंग (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	01 मिनट में 60 बार
		7.	शटल रेस (25 x 4 मीटर) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	29 सेकेण्ड में

(2.) गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद हेतु

9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-	गुल्मनायक, (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी) पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:- (क) ऊँचाई:-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०	
		2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०	
		3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०	
		(ख) सीने की माप			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनु०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
		2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
		नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से०मी० का फुलाव अनिवार्य है।			
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-	शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-			
		क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक	
		1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	
		2.	लम्बी कूद	13 फीट	
		3.	चिनिंग अप	05 बार	
		4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)	
		5.	दण्ड-बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक	

(3.) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु

9-	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा-	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष/महिला) पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:- (क) ऊँचाई:-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनुजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	167.70 से०मी०	152.00 से०मी०
		2.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.00 से०मी०	147.00 से०मी०
		3.	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से०मी०	147.00 से०मी०
		(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु):-			
		क्र०सं०	वर्ग/श्रेणी	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
		1.	अनारक्षित/अनुजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
		2.	पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
		नोट:- सीने में न्यूनतम 05 से०मी० का फुलाव अनिवार्य है।			
(ग) शारीरिक वजन:- 45 कि०ग्रा० न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थी हेतु)					
10-	शारीरिक दक्षता परीक्षा-	शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जायेगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:-			
		क्र०सं०	आइटम	अर्हकारी मानक (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	अर्हकारी मानक (महिला अभ्यर्थियों हेतु)
		1.	क्रिकेट बॉल थ्रो	50 मीटर	20 मीटर
		2.	लम्बी कूद	13 फीट	08 फीट
		3.	चिनिंग अप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	05 बार	-
		4.	दौड़ व चाल	05 कि०मी० (30 मिनट में)	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)
		5.	दण्ड-बैठक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक	-
		6.	स्किपिंग (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	-	01 मिनट में 60 बार

		7.	शटल रेस (25 x 4 मीटर) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)	—	29 सेकेण्ड में
--	--	----	---	---	----------------

नोट: प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके मैरिट के आधार पर श्रेणी/उपश्रेणीवार अंतिम चयन हेतु विचारित किया जायेगा।

ii. प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र जालसाजी (फर्जी) पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(1.) उत्तराखण्ड गृह विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	प्रथम प्रश्नपत्र	अ—सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)	100	100	2 घण्टे
		ब—सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण	50	50	
2	द्वितीय प्रश्नपत्र	अ—सामान्य जागरूकता	75	75	3 घण्टे
		ब—गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)	75	75	

नोट:—उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(2.) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता	खण्डः:अ—भौतिक विज्ञान	35	35	02 घण्टे
		खण्डः:ब—रसायन विज्ञान	35	35	
		खण्डः:स—1. जीव विज्ञान अथवा 2. गणित	30	30	
कुल			100	100	

नोट:-1. खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब' सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है तथा खण्ड 'स' में उल्लिखित वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थी जीवविज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं।

नोट:-2. उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

- (1.) उत्तराखण्ड गृह विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्नपत्र

कुल प्रश्नों की संख्या: 150

कुल अंक: 150

समय: 2 घण्टे

अ-सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या: 100

अधिकतम अंक: 100

(1) हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि

(i) लिपि एवं वर्णमाला: देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएँ, स्वर एवं व्यंजन, स्वर-भेद, व्यंजन-भेद।

(2) वर्तनी: वर्तनी-व्यवस्था: वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर, वर्तनी संबन्धी नियम, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, विराम-चिन्ह, हिन्दी अंक।

(3) शब्द-भण्डार एवं शब्द-संरचना

(i) शब्द-भण्डार: तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिन्दी में आए शब्द), पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द में सूक्ष्म भेद।

(ii) शब्द-संरचना: वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया-विशेषण, अव्यय।

(4) संधि: अर्थ एवं भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, संधि यण् संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि।

(5) पद-विन्यास और वाक्य-विन्यास: पद-क्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, पद-बंध, वाक्य-भेद तथा वाक्य-शुद्धि।

(6) मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ: परिचय एवं उदाहरण।

(7) पत्र-लेखन: पत्र के प्रकार, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, तार लेखन।

(8) जन संचार एवं हिन्दी कम्प्यूटिंग:

(i) जन संचार के विविध माध्यम, समाचार पत्र— पत्रिकाएँ, रेडियो, टी वी (दूरदर्शन), हिन्दी सोशल मीडिया।

(ii) हिन्दी कम्प्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज—लेआउट।

(10) हिन्दी साहित्य का सामान्य परिचय:

(उत्तराखण्ड राज्य एवं एन सी ई आर टी की 10 वीं एवं 12 वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार)

ब— सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण

प्रश्नों की संख्या: 50

अधिकतम अंक : 50

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से सम्बन्धित है। जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है।

अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण

1. दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब
2. श्रृंखला
3. सादृश्यता
4. वर्गीकरण
5. कागज मोड़ना
6. कागज काटना
7. आकृति निर्माण
8. आकृतियों की गिनती
9. सन्निहित आकृतियां
10. आकृतियों की पूर्ति
11. आकृति आव्यूह
12. समरूप आकृतियों का समूहीकरण

शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण

1. वर्णमाला परीक्षण
2. कूटलेखन / कूटयाचन परीक्षण
3. भिन्नता की पहचान
4. सादृश्यता
5. श्रृंखला परीक्षण
6. क्रम व्यवस्था परीक्षण
7. दिशा ज्ञान परीक्षण
8. अंक एवं समय क्रम परीक्षण
9. निगमनात्मक परीक्षण
10. रक्त सम्बन्ध परीक्षण
11. गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान
12. गणितीय संक्रियाएं
13. बैठक परीक्षण
14. आंकड़ों की पर्याप्तता
15. इनपुट आउटपुट पासवर्ड (कम्प्यूटर से सम्बन्धित)
16. संख्या एवं अवधि निर्धारण
17. कैलेण्डर
18. कथन, निष्कर्ष एवं निर्णयन
19. न्याय निगमन
20. पहेली परीक्षण
21. समस्या समाधान
22. सामाजिक बुद्धि (नैतिक आचार—विचार)

- करना
12. धारणा परीक्षण
13. कथन एवं तर्क
14. वर्गीकरण
15. आलेख वेन डायग्राम

27. शब्द निर्माण
28. लिपिकीय अभिप्रमता

द्वितीय प्रश्नपत्र

कुल प्रश्नों की संख्या: 150

कुल अंक: 150

समय: 3 घण्टे

अ— सामान्य जागरूकता

प्रश्नों की संख्या: 75

अधिकतम अंक: 75

विषय—इतिहास

प्राचीन भारतीय इतिहास

प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत:

सिन्धु घाटी सभ्यता – नामकरण, सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा नगर निर्माण योजना।

वैदिक सभ्यता – पूर्व वैदिक कालीन साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति।

उत्तर वैदिक काल – साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन।

जैन व बौद्ध धर्म – स्थापना, शिक्षाएँ व विस्तार।

मौर्यकाल – मौर्यवंश की स्थापना, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक व उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला।

उत्तर मौर्य काल – पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग व आंध्र सातवाहन वंश।

गुप्त साम्राज्य – गुप्तकालीन शासक, प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति।

उत्तर गुप्त काल – हर्षवर्धन, राजपूत शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष, चोल, चालुक्य एवं पल्लव साम्राज्य, 600–1200 के मध्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू, विदेशी यात्रियों का आगमन एवं उनका विवरण।

अरब व तुर्की आक्रमण – इस्लाम की स्थापना, मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी व गौरी के आक्रमण।

मध्यकालीन भारतीय इतिहास

दिल्ली सल्तनत – गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी वंश की स्थापना, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला व स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ।

भक्ति आन्दोलन व सूफी आन्दोलन – मुख्य संत व उनके प्रभाव।

बहमनी व विजयनगर राज्य – मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियाँ, साहित्य, कला एवं संस्कृति।

मुगल काल – मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ: मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेरशाह सूरी का प्रशासन।

मराठा व सिख— मराठों का उदय एवं इनके मुगलों से सम्बन्ध, सिख गुरु व इनके मुगलों के साथ सम्बन्ध।

आधुनिक काल

यूरोपियों का भारत में आगमन— पुर्तगाली, डच, इंग्लिश एवं फ्रांसीसी यात्रियों/व्यापारियों का आगमन।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी —(1757–1858)— भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियाँ, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार एवं किसान तथा जनजाति आन्दोलन।

ब्रिटिश शासन (1858–1947)

1857 का विद्रोह— कारण, प्रकृति, मुख्य घटनाएँ तथा प्रभाव।

वायसराय व उनकी नीतियाँ।

भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलन, किसान तथा जनजाति आन्दोलन।

भारत में राष्ट्रवाद का विकास —

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना; उदारवादी व अतिवादी दल।

लार्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ।

बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन (1907), मार्ले मिन्टो सुधार (1909)।

प्रथम विश्वयुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन — होमरूल आन्दोलन, लखनऊ समझौता (1916), गांधीजी के क्रियाकलाप तथा नीतियाँ: चम्पारण, खेड़ा तथा अहमदाबाद मिल आन्दोलन, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम (1919), रॉलेट अधिनियम (1919), जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौराचौरी की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता।

भारत सरकार अधिनियम (1935)— पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आन्दोलन, कैबिनेट मिशन, आजाद हिन्द फौज, अन्तरिम सरकार, माउन्टबेटेन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947), भारत का विभाजन तथा संवैधानिक विकास, आजादी के बाद के भारत की मुख्य घटनाएँ।

विश्व का इतिहास—

यूरोप में पुनर्जागरण व उससे सम्बन्धित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगदान।

ब्रिटेन के राजवंश— हेनरी अष्टम्, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएँ।

फ्रांसीसी क्रांति।

अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम।

रूसी क्रान्ति।

प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण एवं परिणाम।

विषय—भूगोल

भारत एवं विश्व भूगोल

विश्व का भूगोल – विविध शाखाएं, सौर मण्डल की उत्पत्ति, अक्षांश देशान्तर, समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धान्त, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच्च, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तन्त्र, जलमण्डल: समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमण्डल: वायुमण्डल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, उर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक समूह), अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, विकसित एवं विकासशील देश, जनसंख्या स्थानान्तरण (वैश्विक)।

भारत का भूगोल :- भौगोलिक परिचय, उच्चावच्च एवं संरचना, जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि: फसलें, हरित एवं श्वेत क्रांति, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, साक्षरता, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, अधिवास, नगरीय एवं ग्रामीण, प्रतिरूप एवं आकारिकी, पर्यावरणीय संकट: वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन: कारण एवं प्रभाव।

विषय—राजनीति विज्ञान (Political Science)

(1) भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity)

(क) संवैधानिक सभा एवं भारतीय संविधान : संविधान का दर्शन, प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की विशेषता—

- (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था
- (ii) गणतान्त्रिक व्यवस्था,
- (iii) सर्व धर्म समभाव की अवधारणा,
- (iv) सहयोगी संघवाद।

(ख) मौलिक अधिकारों की अवधारणा

समानता— स्वतंत्रता— धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार—संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्व।

(ग) मौलिक कर्तव्य

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व, समाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण—संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता।

(घ) नीति निदेशक तत्व (आधारभूत अवधारणाएँ)—

उदारवादी, गाँधीवादी, समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा।

भारतीय संसद—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि—निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषद्—अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मन्त्रिपरिषद् पर संसदीय नियन्त्रण।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय—गठन, कार्यप्रणाली शक्तियाँ, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन।

नागरिकता— भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएँ, नागरिकता का लोप होने की दशाएँ।

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल— राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएँ, क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ, क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियाँ।

पंचायती राज (स्थानीय स्वशासन)

शहरी स्थानीय स्वशासन— नगर निगम, नगरपालिका।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्य—प्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

उत्तराखण्ड का पंचायतराज अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)

(2) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ— संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, विश्व शान्ति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका।

पर्यावरण— वैश्विक—तापन की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास।

मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा,

मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास।

विषय—अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषतायें, जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि : विशेषतायें, उत्पादन, उत्पादकता एवं विपणन, निर्यात, कृषि सुधार—भूमि सुधार, हरित क्रांति। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैविक कृषि, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रबन्धन, खाद्य सुरक्षा एक्ट। औद्योगिक विकास एवं विनिर्माण गतिविधियाँ— औद्योगिक नीति, औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार, मेक इन इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया, पी0एम0गतिशक्ति, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग—प्रगति एवं चुनौतियाँ, नई एम0एस0एम0ई0 नीति। सेवा क्षेत्र की प्रगति। नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त—मुद्रा योजना, जन धन योजना। नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक विकास—शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास—समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं योजनायें—उज्ज्वला योजना, एम0जी0नरेगा, डिजिटल इण्डिया, स्मार्ट सिटी मिशन, नमामि गंगे, कौशल विकास योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। भारतीय संघीय व्यवस्था

एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार—प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन। विश्व व्यापार संगठन—भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास—सतत् विकास लक्ष्य 2030।

विषय—राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनायें।

विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर – महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषायें, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्त्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य; प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन / प्रदर्शनी/कान्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम।

विषय— उत्तराखण्ड से संबंधित विविध जानकारियाँ

1. **उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचय:**— स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियां, हिमनद, नदियाँ, झीलें, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या—संरचना एवं प्रारूप।
2. **उत्तराखण्ड का इतिहास** :— ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा—कत्यूरी शासन, चन्द्र शासन, गोरखा, पंवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियां, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी इत्यादि, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोलन चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन प्रमुख ऐतिहासिक एवं राजनैतिक घटनाक्रम।
3. **उत्तराखण्ड जल स्रोत**, मुख्य नदियां, परम्परागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल—खाल, गाड़—गधेरा,सिंचाई के परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनायें, नदी घाटी परियोजनाएं, उत्तराखण्ड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्यायें।
4. **उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था:**— राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एवं क्षेत्रवार विवरण, प्रति व्यक्ति आय, कृषि, प्रमुख फसलें एवं उत्पादन तथा उत्पादकता, जैविक एवं व्यावसायिक कृषि, कृषिगत समस्यायें, उद्यान, पुष्प, सब्जी, जड़ीबूटी पशुपालन, मछली पालन इत्यादि लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा ऊन, काष्ट, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, नई एम0एस0एम0ई0 नीति उत्तराखण्ड में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की प्रगति, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन की समस्या।
5. **उत्तराखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष** :— परंपरायें, रहन—सहन, रीति—रिवाज भाषा—बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक साहित्य, लोक संगीत, उत्तराखण्ड के प्रमुख मेले, पर्व एवं त्यौहार।
6. **उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी**, उत्तराखण्ड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बन्दोबस्त, लगान एवं रैयतवाडी, राजस्व पुलिस व्यवस्था।
7. **उत्तराखण्ड में शिक्षा:**—सामान्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्यायें

8. **उत्तराखण्ड में पर्यटन :-** धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रेकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन, रोपवेज एवं तत्सम्बन्धित समस्यायें ।
9. उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय दशायें, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, निर्वनीकरण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदायें एवं पारिस्थितिकीय दशाएँ, आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, पर्यावरणीय संतुलन एवं सतत् विकास ।
10. राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनायें / पहलें
- 11 उत्तराखंड में जैव विविधता, जैव विविधता पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं वन्य जीव विहार ।
12. राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय

विषय– Fundamental of Computers

Unit 1: Basic Concepts: Introduction to Computers, Classification and Generations of computers; Block Diagram of Computer, Hardware, Software, Firmware, Input devices, Memory and Storage Devices, Central Processing Unit, Output devices and Computer Ports, Software: System software and Application Software, Concept of Algorithm and Flowchart, Generations of Programming Languages,

Unit 2: Operating System

Concept of Operating System, Operating System: Open and Proprietary, Versions of Windows, Features of Windows Operating System, Windows Desktop, Booting, Shut Down and Standby options, Start Menu, Keyboard Shortcuts; Application Management using Control Panel, Installing and Uninstalling a software; System Tools; Disk Clean up, Disk Fragmentation, Working with Windows Explorer, Basics of Linux

Unit 3: Software Packages Word Processing: Word processing concepts, Working with word document: Opening, Closing and saving options, Editing text, Find and replace text, Language checking and thesauruses, Formatting, spell check, Autocorrect, Auto text Bullets and numbering, Paragraph Formatting, Indent, Page Formatting; Header and footer; Tables: Inserting and importing of tables, filling and formatting a table; Pictures and Video; Mail Merge; Printing documents; Keyboard Shortcuts

Spreadsheet: Spreadsheet concepts, Managing worksheets, Formatting of Worksheets and Cells, Entering data, Editing; Printing a worksheet; Organizing Charts and graphs; Formulas and Functions: Handling operators in formula; generally used Spreadsheet functions: Mathematical, Statistical, Financial, Logical, Date and Times; Keyboard Shortcuts

Presentation Software: Introduction and creation of the presentation, Use of Templates; Adding new slide, Navigating across slides, Use of Master Slide, slide show, Saving and Opening of presentation, Text formatting options, Copy, Move, Delete slides, Applying designs, Using Animations, Slide Transitions, Insert clip art, Insert sound/movies, Viewing the presentation; Taking printout of presentation/Handouts; Keyboard Shortcuts,

Unit 4: Working with Internet

Basics of Computer Network and Internet, Working with Internet, ISP, Web Browsers, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL) and Domain Names, Uses of Internet, Concept of Search Engines, IP Address, Applications of Internet, Chatting, Video-Conferencing, Email: Manage an E-mail Account, E-mail Address, configure E-mail Account,

log to an E-mail, Sending and Receiving e-mails, sending files as attachments, Address Book; Uploading/ Downloading Files, Net Etiquettes. Social Impact of ICT in Education, health care and Governance

Unit 5: Cyber Security Virus, Worms, Trojan and Anti-Virus software, Spyware, Malware, Spams, Data Backup and Recovery Tools, Indian IT ACT, Types of Cyber Crime, firewall, Cookies, Hackers and Crackers, Cyber Security Techniques: Authentication, Encryption, Digital Signatures, Anti-Virus, Firewall, Steganography.

ब- गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या: 75

अधिकतम अंक-75

- लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्त्य (HCF) प्रश्न
- घातांक एवं करणी
- द्विघात समीकरण
- संख्याओं पर आधारित प्रश्न
- घड़ियां
- औसत
- अनुपात और समानुपात
- समय और दूरी
- आयु संबंधी प्रश्न
- प्रतिशत
- लाभ और हानि
- साधारण ब्याज
- चक्रवृद्धि ब्याज
- नल एवं टंकी
- नाव और धारा
- मिश्रण और पृथ्थीकरण
- समय और कार्य
- ऊंचाई और दूरी
- त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न
- क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल : त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलम्ब और वृत्त
- आयतन: घन, घनाभ, बेलन और गोला
- प्रायिकता
- माध्यिका , माध्य और बहुलक

(2.) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम
खण्ड—अ

भौतिक विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 35

अधिकतम अंक—35

मात्रक और मापन, गति के नियम (सरल रेखा में गति, समतल में गति), गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, संघट्ट, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह।

किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यन्त्र, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवीकरण, पूर्ण आन्तरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनायें:

तरंगे एवं दोलन, ठोसों के यान्त्रिक एवं तापीय गुण, तरलों के यान्त्रिकी गुण, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति, ध्वनि का परावर्तन, पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग।

गैसों का अणुगति सिद्धान्त, ऊष्मा गतिकी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम। गैसों में अभिगमन घटनाएं।

परमाणु एवं परमाण्वीय सपेक्ट्रम, बोर(Bohr) के क्वान्टमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का दे ब्रॉग्ली द्वारा स्पष्टीकरण,

नाभिक, द्रव्यमान—ऊर्जा तथा नाभिकीय बन्धन ऊर्जा, रेडियों एक्टिविटा, नाभिकीय ऊर्जा,

स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत परिपथ, वैद्युत धारा (ac&dc), गतिमान आवेश और चुंबकत्व, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चुम्बकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें,

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ), अंकक इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क (लॉजिक) गेट।

PHYSICS

No.of Questions : 35

MM : 35

Units and Measurements, Laws of Motion (Motion in a Straight Line, in Plane); Gravitation, Work, Energy and Power; Collisions, System of Particles and Rotational Motion. Geostationary and Polar Satellites

Ray Optics and Optical Instruments, Interference, Diffraction and Polarization of Light. Total Internal Reflection, Some Natural Phenomenon due to Sunlight

Waves and Oscillations, Mechanical and Thermal Properties of Matter, Mechanical Properties of Fluids, Speed of Sound in Different Media, Reflection of Sound. Applications of Ultrasonic Waves

Kinetic Theory of Gasses, First law, Second law and Third law of thermodynamics. Transport phenomena in gases.

Atoms and Atomic Spectra, DeBroglie Explanation of Bohrs Second Postulate of Quantization,

Nuclei, Mass-Energy and Nuclear Binding Energy, Radioactivity, Nuclear Energy

Electrostatic Potential and Capacitance. Electric Charges and Fields, Electric Circuits, Electric Current (ac and dc), Moving Charges and Magnetism, Electromagnetic Induction, Magnetism and Matter, Electromagnetic Waves,

Semiconductor Electronics (Materials, Devices and Simple Circuits), Digital Electronics and Logic Gates.

खण्ड—ब

रसायन विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 35

अधिकतम अंक—35

परमाणु संरचना : परमाणु संरचना, परमाणु का रदरफॉर्ड्स एवं बोहर्स मॉडल, परमाणु का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार, न्यूट्रॉन की खोज, समस्थानिक एवं समभारिक, कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, सरल यौगिकों का सूत्र।

रासायनिक आबंध : रासायनिक बंध के प्रकार एवं उनके गुणधर्म, उदाहरण सहित।

तत्वों का वर्गीकरण : वर्गीकरण की आवश्यकता, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों का पदक्रम, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक एवं अधात्विक गुण।

s—एवं p—ब्लॉक के तत्व : सामान्य विशेषताएं उदाहरण सहित।

उपसहसंयोजक यौगिक : उपसहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म कुछ उदाहरणों सहित।

रासायनिक बलगतिकी : शून्य, प्रथम एवं द्वितीय कोटि अभिक्रिया बलगतिकी, आरहेनियस समीकरण, श्रृंखला अभिक्रिया।

विलियन: मिश्रण एवं विलियन की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, यौगिक एवं मिश्रण के बीच अंतर।

इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री: ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, अर्द्ध सेल अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड के प्रकार, सेल के प्रकार तथा सेल विभव।

हाइड्रोकार्बंस: कार्बनिक हाइड्रोकार्बंस, हैलोएल्केन्स एवं हैलोएरीन्स।

बहुलक: प्राकृतिक एवं कृत्रिम बहुलक एवं उनके उपयोग।

दैनिक जीवन में रसायन: दैनिक जीवन में का महत्व, साधारण लवणों के उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, बैंकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अग्नि के प्रकार एवं अग्निशमन के प्रकार। ईंधन की परिभाषा, कोयले के प्रकार, पेट्रोलियम का शोधन, सी एन जी एवं एल पी जी।

जैविक अणु: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा एवं लिपिड्स।

पर्यावरण रसायन: ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, फॉग, स्मॉग, पर्यावरण प्रदूषकों के प्रकार।

रासायनिक साम्यावस्था: रासायनिक साम्यावस्था और अम्ल-क्षार।

CHEMISTRY

No.of Questions: 35

MM : 35

Structure of Atom: Structure of atom, Rutherford's and Bohr's model of atom, atomic number and atomic mass of atom, Discovery of neutron, isotopes and isobars, Distribution of electrons in shells, formulae of simple compounds.

Chemical Bonding: Types of Chemical bonding and their characteristics with examples.

Classification of Elements: Need for classification, modern Periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties.

s- and p-block elements: General Characteristics with examples.

Coordination Compounds: General Properties of Coordination Compounds with some examples.

Chemical kinetics : Zero, first and second order reaction kinetics, Arrhenius equation, chain reaction.

Solution : Definition of mixture and solution, types of pure substance, difference between mixture and compound.

Electrochemistry : Oxidation and reduction reaction, half-cell reaction, types of electrodes, varieties of cells and cell potential.

Hydrocarbons : Organic hydrocarbons, haloalkanes and haloarenes.

Polymers: Natural and synthetic polymers and their uses.

Chemistry in Everyday life: Importance of pH in everyday life, uses of common salts, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of paris, classes of fire, types of fire extinguisher, Definition of fuel, Type of coal, Refining of petroleum, CNG and LPG.

Biomolecules : Carbohydrates, protein, amino acids, fats and lipids.

Environmental Chemisry: Green house effect, Green house gases, global warming, acid rains, fog, smog, types of environmental pollutants.

खण्ड—स

(अभ्यर्थी जीवविज्ञान/गणित में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं)

1. जीव विज्ञान

प्रश्नों की संख्या—30

अधिकतम अंक—30

- (1) **जन्तु एवं पादप कोशिका:** कोशिका का सिद्धान्त पादप एवं जन्तु कोशिका की परासंरचना, कोशिका अंग तथा उनकी संरचना एवं कार्य।
- (2) **प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा लिपिड्स:** संरचना एवं उपापचय, विटामिन्स के प्रकार एवं कार्य।
- (3) **न्यूक्लिक अम्ल:** डी एन ए तथा आर एन ए की संरचना, प्रकार एवं कार्य, पुनः संयोजक डी एन ए तकनीकी, डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग, उत्परिवर्तन, जेनेटिक कूट एवं प्रोटीन संश्लेषण।
- (4) **मेण्डल के आनुवंशिकता के नियम:** मेण्डल एवं पश्च मेन्डेलियन अवधारणायें, सहप्रभुत्व तथा जीन अन्योन्य क्रिया, संहलग्नता, विनिमय, लिंग संहलग्नता।
- (5) **पारिस्थितिक तंत्र:** संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिक तंत्र के अवयव, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिकीय कारक, परिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रमण, संमष्टि वृद्धि, जन्मदर, मृत्युदर, अप्रवासन, उत्प्रवासन, चरघातांकी एवं लाजिस्टिक वृद्धि, जैव भू-रासायनिक चक्र मिट्टी एवं उसके प्रकार।
- (6) **जैव विविधता:** भूमिका, जैवविविधता के प्रकार एवं महत्व, जैव विविधता ह्रास एवं कारण, जैवविविधता संरक्षण एवं उपाय, तप्त स्थल, वानस्पतिक उद्यान: भारत के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान एवं उनका महत्व।
- (7) **वर्गिकी के सिद्धांत:** पादप एवं जन्तुओं के वर्गीकरण का मौलिक ज्ञान।
- (8) **रोगजनक एवं परिजीवी:** रोगजनकों एवं परिजीवों में अन्तर एवं उनका आर्थिक महत्व, रोगवाहक एवं मानव रोग (मलेरिया, एमिबियोसिस, एलीफेंटेसिस), पादपरोग (गेंहू का किट्ट रोग, धान का प्रध्वसं रोग, श्वेत किट्ट रोग), प्रतिरक्षा का मौलिक ज्ञान एवं प्रकार, टीकाकरण, प्रतिरक्षा प्रणाली, एड्स (AIDS) एवं कोविड (COVID)
- (9) **जैवतकनीकी:** मौलिक ज्ञान एवं प्रयोग।
- (10) **पादप प्रजनन:** पादप प्रजनन का उद्देश्य, संकरण, शुद्ध संकरण एवं आन्तरिक संकरण, पादप प्रजनन का कार्यक्षेत्र, क्लोनिंग, परागण एवं उसके प्रकार, पादप एवं जन्तुओं में युग्मकजनन।
- (11) **प्रकाश संश्लेषण:** प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाशित अभिक्रिया, कैल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक।
- (12) **श्वसन:** ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला।
- (13) **पर्यावरणीय मुद्दे:** प्रदूषण (जल, वायु, ध्वनि, विकिरणी प्रदूषण), ठोस उत्सर्ग, कृषि रसायन एवं प्रभाव, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन, अग्नि-पारिस्थितिकी कारक के रूप में, वनाग्नि, फायर लाईन, आपदा प्रबन्धन, कारण एवं प्रभाव।
- (14) **वन्य जीवन:** भारत में वन्य प्राणी अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, पादप एवं जन्तुओं की लुप्तप्राय प्रजातियाँ।
- (15) **उत्तराखण्ड में प्राकाष्ठक पादप एवं उनके मुख्य पिड़क कीट तथा रोग।**

1. BIOLOGY

No. of Questions: 30

MM : 30

- (1) Animal and plant cell : Cell Theory, Ultra structure of plant and animal cells; Cell organelles and their structure and functions.
- (2) Proteins, Carbohydrates and Lipids : Structure and metabolism of Proteins, Carbohydrates and Lipids, Vitamins, type and functions.
- (3) Nucleic acids : Structure of Deoxyribose nucleic acids (DNA) and Ribose nucleic acids (RNA), their type and functions. Recombinant DNA Technology, DNA finger printing, Mutation, Genetic code and Protein synthesis.
- (4) Mendelian laws of Inheritance : Mendelian and Post Mendelian laws, Codominance and Gene Interactions; Linkage, Crossing-over and Sex linked Inheritance.
- (5) Ecosystem : Structure and functions, Components of ecosystem. Energy flow, Food chain and Food web, Ecological factors, Ecological Pyramids and Ecological succession. Population growth, Natality, mortality, Immigration, Emigration, Exponential and Logistic growth, Biogeochemical cycles. Soils and their types.
- (6) Biodiversity : Introduction, Type of biodiversity and its importance, Biodiversity loss and its causes, Biodiversity Conservation, Hotspots.

Botanical garden : Major Botanical gardens of india. Importance of Botanical gardens.

- (7) Principles of Taxonomy : Basic knowledge of plants and animal classification.
- (8) Pathogen and parasites : Differences between pathogen and parasite and their economic importance.

Vectors and diseases in human (Malaria, Amoebiasis, Elephantiasis)

Plant diseases (Black rust of wheat, Blast of rice, White rust of Crucifers).

Immunity : Introduction, types, Vaccination, Immune systems, AIDS and COVID.

- (9) Biotechnology and its applications.
- (10) Plant Breeding : Objectives, Cross breeding, Pure breeding and Inbreeding. Scope of Plant Breeding. Cloning, Pollination and type, Gametogenesis in plants and animals.
- (11) Photosynthesis : Photosynthetic pigments, Light and dark reaction, The Calvin cycle, Factors affecting photosynthesis.
- (12) Respiration : Glycolysis, Krebs's cycle, Electron Transport Chain (ETC).
- (13) Environmental Issues: Pollution (water, air, sound and radioactive pollution), solid waste, Agrochemicals and their effects, Ozone depletion, Deforestation. Fire as an ecological factor, Forest fires, fire lines, Disaster management, causes and effects.
- (14) Wild Life : Wild Life sanctuaries and National Parks in India. Wild Life Protection Act, Endangered species.

2. गणित

प्रश्नों की संख्या: 30

अधिकतम अंक—30

- लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्त्य (HCF) प्रश्न
- घातांक एवं करणी
- द्विघात समीकरण
- [संख्याओं पर आधारित प्रश्न](#)
- घड़ियां
- औसत
- अनुपात और समानुपात
- [समय और दूरी](#)
- आयु संबंधी प्रश्न
- प्रतिशत
- लाभ और हानि
- साधारण ब्याज
- [चक्रवृद्धि ब्याज](#)
- [नल एवं टंकी](#)
- क्रमचय और संचय
- नाव और धारा
- [मिश्रण और पृथकीकरण](#)
- समय और कार्य
- [ऊंचाई और दूरी](#)
- [त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न](#)
- [क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल : त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलम्ब और वृत्त](#)
- [आयतन: घन, घनाभ, बेलन और गोला](#)
- प्रायिकता
- माधिका, माध्य और बहुलक

2. MATHEMATICS

No.of Question: 30

MM : 30

- Problems with LCM and HCF
- Indices and Surds
- Quadratic Equations

- Problems on Numbers
- Clocks
- Averages
- Ratio and Proportion
- Time and Distance
- Problems on Ages
- Percentages
- Profit and Loss
- Simple Interest
- Compound Interest
- Pipes and Cisterns
- Permutations and Combinations
- Boats and Streams
- Mixtures and Alligation
- Time and Work
- Height and Distance
- [Basic Questions of Trigonometry](#)
- Mensuration and Areas: Triangle, Rectangle, Square, Parallelogram, Rhombus, Trapezium and Circle.
- Volumes: Cube, Cuboid, Cylinder and Sphere
- Probability
- Mean, Median and Mode

नोट—उपरोक्त उल्लिखित पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड शासन/विभाग स्तर से अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन/विभाग द्वारा अनुमोदन के क्रम में पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिस हेतु ससमय अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति/आयोग के वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्रामतहसील

..... नगर जिला उत्तराखण्ड की

जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगरजिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/
सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
.....नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी
है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित
नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
.....तहसील नगर जिलामें सामान्यतया
रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्या:-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....
 जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल
 निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से
 वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0
 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं
 करता है:-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत
 सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
 सम्मिलित नहीं है।

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
 नाम.....
 पदनाम.....

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्रामतहसील
..... नगर जिलाउत्तर प्रदेश लोक
सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए
आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)

पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों
के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

परिशिष्ट-04

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

(1.) उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के परिशिष्ट-04 नियम 14(4)(4) तथा उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 के परिशिष्ट-09 नियम 11(ज)(तीन) में उल्लिखित प्राविधानानुसार उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) तथा गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) पद हेतु निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए अनिवार्य है:-

क्र० सं०	आरक्षण की श्रेणी	अंतिम चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	50%
2.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	40%

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(2.) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के परिशिष्ट-2ग नियम 16(घ)(8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए अनिवार्य है:-

क्र० सं०	आरक्षण की श्रेणी	अंतिम चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	45%
2.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	35%

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 के लिए शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्र/जनपद की सूची

S. No.	District Name	City Name	City Code
01	Nainital	Haldwani	01
02	Haridwar	Haridwar	02
03	Dehradun	Dehradun	03
04	Almora	Almora	04
05	Champawat	Champawat	05
06	Bageshwar	Bageshwar	06
07	Chamoli	Chamoli	07
08	Tehri Garhwal	Tehri Garhwal	08
09	Pauri Garhwal	Pauri Garhwal	09
10	Rudraprayag	Rudraprayag	10
11	Uttarkashi	Uttarkashi	11
12	Udhamsingh Nagar	Udhamsingh Nagar	12
13	Pithauragarh	Pithauragarh	13

नोट :: आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रमाण पत्र संख्या:



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
पर्वतीय क्षेत्र निवासी प्रमाण-पत्र

(शासनदेश संख्या 256/18 प्रशा0शि0-88-20 (एसबी)/82 दिनांक 16/07/1982 के आधार पर जारी)

जिला:.....

आवेदन पत्र संख्या:.....

उप जिलाधिकारी:.....

जारी दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र

माता का नाम

ग्राम/महोल्ला/वार्ड

पता

तहसील

नगर निकाय

पटवारी क्षेत्र

जिला

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि-

1- उपरोक्त सर्व क्षेत्र (गढ़वाल/कुमायूँ/डोगरा/मराठा सिक्किम) के निवासी भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती ऊंचाई तथा सीने के माप में छूट के लिए विचारणीय हैं।

2- यह हिमांचल प्रदेश/लेह व लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों का विकास है तथा भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती हेतु

3- यह जनजाति/आदिवासी समुदाय का है तथा भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई तथा सीने के माप में छूट के लिए विचारणीय है।

केंद्र आईडी:

.....
.....

तहसीलदार

.....

.....

गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024

Check List

पदनाम – उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी)

अनुक्रमांक.....

क्र०सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण-पत्र *	
06	<p align="center">अनिवार्य शैक्षिक अर्हता</p> <p>(अ) गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) हेतु :- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।</p> <p>(ब) गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु :- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष अर्हता होगी। (स) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा।</p>	
07	<p align="center">अधिमानी अर्हता</p> <p>(अ) गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) हेतु :- 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।</p>	

	(ब) गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु :- (1) प्रादेशिक सेना न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	
08	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)**	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
10	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
11	ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र	
12	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
13	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।	
14	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-5/DR/ S.I. /E-5/2023-24 दिनांक: 31 जनवरी, 2024 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
15	होमगार्ड अभ्यर्थी, जिन्होंने 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, का दावा किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/अभिलेख। (केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना/गुल्मनायक (पुरुष) पीएसी/आईआरबी हेतु अनुमन्य)	
16	विज्ञापन के बिन्दु सं0-03 में अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख-	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	

	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	
17	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
18	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
19	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि अवश्य लेकर आयें।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एवं ऊँचाई तथा सीने की माप में छूट से संबंधित पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2024 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट-आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....